छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रकाशन हेतु

अनुमोदित

(खंडपीठ)

माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति एवं

माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्रमांक 120 / 1992

अपीलकर्ता : **भगवान सिंह**, आयु 22 वर्ष, पिता श्री गोविंद सिंह, निवासी – मंगरा पटपरियापारा, थाना – खड़गांव, जिला सरगुजा (मध्य प्रदेश)

विरुद्ध

उत्तरदाता : **मध्य प्रदेश राज्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री आर.एस. मरहास , अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री जे.डी. बाजपेयी, अतिरिक्त लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

निर्णय

(दिनांक 9 अगस्त, 2005 को पारित)

दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्ति द्वारा:

यह अपील सत्र न्यायालय, सरगुजा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एम.सी. जैन द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 191/91 में दिनांक 12–12–1991 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की का दंड पारित किया गया थी।

2. संक्षेप में अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि अभियुक्त भगवान सिंह ने मोहना सिंह के लिए कुआँ खोदने का श्रमिक के रूप में कार्य किया था। दिनांक 14–06–1991 को लगभग शाम 8 बजे, मोहना सिंह की पत्नी देओरती बाई, एक टिन लेकर, अभियुक्त के घर डालडा लाने गई थी। अभियुक्त ने देओरती बाई से अपनी मजदूरी की मांग की, जिस पर उसने अभियुक्त को अपमानजनक एवं अशोभनीय गालियाँ देना प्रारंभ कर दिया और अपने घर लौट गई। इस पर अभियुक्त क्रोधित होकर उसके पीछे गया और नाले के समीप लकड़ी के पीढ़े से उसके सिर पर तीन बार प्रहार किया, जिससे वह पानी में गिर गई और चिल्लाने लगी। अभियुक्त ने उसे नाले से बाहर खींचा और पुनः लकड़ी के पीढ़े से उसके दाहिने पैर एवं घुटने पर कई बार प्रहार किया। ब्रह्मा सिंह (अ.सा.–1) और प्यारे सिंह (अ.सा.–2), जो शोर सुनकर तत्काल घटनास्थल पर पहुँचे, ने अभियुक्त से पूछा, तो उसने बताया कि उसने देओरती बाई पर लकड़ी के पीढ़े से प्रहार किया है। देओरती बाई ने भी उपर्युक्त साक्षियों को बताया कि उस पर प्रहार अभियुक्त भगवान सिंह ने किया था। ब्रह्मा सिंह और प्यारे सिंह ने देखा कि देओरती बाई के सिर, नाक एवं दाहिने पैर पर चोटें थीं और उसकी नाक से खून निकल रहा था। उन्होंने उसे उसके घर पहुँचाया, जहाँ उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई।

3. अभियुक्त दिनांक 15–06–1991 को प्रातः 11:30 बजे थाना खड़गवां गया और प्राथमिकी रिपोर्ट , प्रदर्श क्रमांक पी–12 के रूप में दर्ज करवाई। सहायक उप–निरीक्षक बेचू सिंह (अ.सा.–5) घटनास्थल पर पहुंचे और मृतका के शव का पंचनामा प्रदर्श क्रमांक पी–15 के अनुसार तैयार किया। घटनास्थल, अर्थात खरिया नाला के समीप से रक्तरंजित मिट्टी, सामान्य मिट्टी, टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े एवं एक टिन को जप्त किया गया, जो कि परिचय पत्र क्रमांक पी–16 में दर्शित है। अभियुक्त के कथन के आधार पर दिनांक 16–06–1991 को एक लकड़ी का पीढ़ा जप्त किया गया, जो कि प्रदर्श क्रमांक पी–3 में दर्ज है। डॉ. के.एल. बंजारें (अ.सा.–4) द्वारा मृतका देओरती बाई का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें निम्नलिखित चोटें पाई गईं—

(i) सिर के दाहिने पैरीयटल, टेम्पोरल एवं ऑक्सिपिटल क्षेत्र में सूजन —— आकार 8 से.मी. x 5 से.मी. से लेकर 4 से.मी. x 4 से.मी. तक।

(ii) माथे के मध्य भाग में सूजन —— आकार 7 से.मी. x 5 से.मी.।

(iii) दाहिने पैर के ऊपरी एक-तिहाई भाग में सूजन तथा ऊपरी सिरे से 7 से.मी. नीचे टिबिया एवं फिबुला की अस्थि में फ्रैक्चर।

डॉ. बंजारें ने ऑक्सिपिटल अस्थि तथा दाहिनी टेम्पोरल अस्थि में फ्रैक्चर, रक्त के थक्के तथा ऑक्सिपिटल क्षेत्र में चिरफाड़ पाई। इसके अतिरिक्त, ऑक्सिपिटल एवं दाहिने टेम्पोरल क्षेत्र में भी रक्तस्राव के थक्के पाए गए। दाहिनी छाती की ओर 9 वीं, 10 वीं एवं 11 वीं पसली के मध्य बगल में सूजन एवं रक्तस्राव के थक्के उपस्थित थे। उन्होंने यह भी पाया कि दाहिनी टिबिया एवं फिबुला अस्थियाँ टूटी हुई थीं।

डॉ. के.एल. बंजारें के मतानुसार, मृत्यु का कारण मस्तिष्क की ऑक्सिपिटल एवं टेम्पोरल क्षेत्र में लगी गंभीर चोटों के कारण उत्पन्न आघात तथा अत्यधिक रक्तस्राव था। उनके अनुसार सभी चोटें मृत्युपूर्व थीं एवं उनका स्वरूप हत्यात्मक था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विचारण न्यायाधीश ने ब्रह्मा सिंह (अ.सा.–1) एवं प्यारे सिंह (अ.सा.–2) के कथन पर विश्वास करते हुए कि उन्होंने घायल देओरती बाई को देखा था तथा अभियुक्त द्वारा घटनास्थल पर किया गया अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति, साथ ही देओरती बाई का मृत्यु पूर्व कथन एवं डॉ. के.एल. बंजारें (अ.सा.4) की चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया तथा उपर्युक्तानुसार दंडित किया।

5. श्री मरहस, विद्वान अधिवक्ता जो कि अपीलार्थी की ओर से न्यायालय द्वारा नियुक्त न्याय मित्र के रूप में उपस्थित हुए, ने विचारण न्यायाधीश के इस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी कि अपीलार्थी द्वारा देओरती बाई की मृत्यु कारित की गई। उन्होंने केवल यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने अपनी मजदूरी का भुगतान न किए जाने एवं मृतका द्वारा उसे दी गई अशोभनीय गालियों के कारण उत्पन्न गंभीर एवं अचानक उकसावे की स्थिति में कार्य किया, अतः यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत आता है तथा यह धारा 304 के भाग II से अधिक नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी दिनांक 16-06-1991 से निरुद्ध है, अर्थात् वह 14 वर्षों से अधिक समय से कारावास में है।

6. वहीं दूसरी ओर, माननीय अतिरिक्त लोक अभियोजक ने विचारण न्यायाधीश के निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार से अपीलार्थी ने वृद्धा देओरती बाई पर लकड़ी के पीढ़े से सिर पर बार-बार प्रहार कर उसके महत्वपूर्ण अंगों में फ्रैक्चर उत्पन्न किया, और जब देओरती बाई पानी में गिर गई, तब उसे बाहर खींचकर पुनः इस प्रकार से प्रहार किया कि उसके दाहिने पैर की टिबिया एवं फिबुला अस्थियाँ टूट गईं — इस तथ्य में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है की यह संपूर्ण कृत्य अपीलार्थी द्वारा पूर्वनियोजित, जानबूझकर किया गया तथा निर्मम हत्या थी।

7. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया है। साथ ही सत्र प्रकरण क्रमांक 191/91 के अभिलेख का भी परीक्षण किया है। डॉ. के.एल. बंजारें (अ.सा.–4) की साक्ष्य यह संदेह से परे प्रमाणित करती है कि 60 वर्षीय वृद्धा देओरती बाई के दाहिने पारियेटल एवं टेम्पोरल अस्थियों में फ्रैक्चर था,

जिनके नीचे रक्त के थक्के पाए गए, साथ ही माथे के मध्य भाग में सूजन थी तथा देओरती बाई की मृत्यु मस्तिष्क के ऑक्सिपिटल एवं दाहिने टेम्पोरल क्षेत्र में गंभीर चोट एवं अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी, जो कि स्पष्टतः एक हत्या थी।

8. हमने ब्रह्मा सिंह (अ.सा.–1) की साक्ष्य पर भी विचार किया, जो घटनास्थल पर उस समय पहुँचे जब अपीलार्थी देओरती बाई पर प्रहार कर रहा था। ब्रह्मा सिंह (अ.सा.–1) एवं प्यारे सिंह (अ.सा.–2) की साक्ष्य यह भी प्रमाणित करती है कि देओरती बाई ने मृत्यु से पूर्व मौखिक कथन इन दोनों गवाहों के समक्ष दिया था, जिसमें उसने कहा था कि अभियुक्त भगवान सिंह ने उस पर प्रहार किया था। इन साक्षियों की साक्ष्य यह भी स्थापित करती है कि अभियुक्त ने पूछे जाने पर इनके समक्ष अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति भी की थी। इन दोनों गवाहों की गवाही प्रति प्रक्षण में अप्रभावित रही तथा चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णतः पुष्ट होती है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य का परीक्षण करने के उपरांत हमारा यह ठोस मत है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह संदेह से परे सिद्ध करती है कि अपीलार्थी ने देओरती बाई की मृत्यु कारित की थी।

9. विचार करने योग्य एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत आता है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ब्रह्मा सिंह, अ.सा.1 के कथन के कंडिका 4 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और यह तर्क देकर अपीलकर्ता के प्रकरण ले को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के आधीन लाने का निष्फल प्रयास किया कि मजदूरी का भुगतान न करने और अभद्र गालियों के कारण अपीलकर्ता इस हद तक क्रोधित हो गया कि उसने अनजाने में देवराती बाई की मृत्यु कारित कर दी। यद्यपि, अपीलकर्ता द्वारा देवराती बाई पर महत्वपूर्ण अंगों यानी सिर पर बार–बार इस हद तक हमला करने का कृत्य कि उसे न केवल दाहिनी टेम्पोरल हड्डी में बल्कि ओसीसीपिटल हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया, मस्तिष्क में अत्यधिक रक्तस्राव और माथे के बीच में सूजन और छाती के मध्य अक्षीय रेखा पर 9 वीं, 10 वीं और 11 वीं पसली पर सूजन के साथ रक्त के थक्के मौजूद थे और आगे अपीलकर्ता द्वारा देवराती बाई के दाहिने पैर पर बार–बार इस हद तक हमला करने का कृत्य कि उसे दाहिनी टिबिया और फाइबुला में फ्रैक्चर हो गया, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अपीलकर्ता का कृत्य जानबूझकर किया गया था और अपीलकर्ता का इरादा देवराती बाई की मृत्यु कारित करने का था। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा सिंह, अ.सा.–1 की गवाही का पैरा 4 दर्शाता है कि देवराती बाई ने कथित तौर पर अपीलकर्ता को उसके घर पर मजदूरी देने से इनकार करते हुए गाली दी थी, जबकि घटना तब हुई जब अपीलकर्ता ने नाले तक उसका पीछा किया था। इस प्रकार देवराती बाई द्वारा गाली दिए जाने के बाद देवराती बाई की मृत्यु कारित करने का अपीलकर्ता का कृत्य सहज नहीं था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता को गंभीर और अचानक उकसावे से आत्म–नियंत्रण की शक्ति से वंचित कर दिया गया था।

10. अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद, हम इस निस्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलकर्ता ने देवराती बाई की हत्या किसी गंभीर प्रमोपन के आभाव की थी और विद्वान न्यायाधीश द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के आधीन सही दोषी ठहराया गया था। इसलिए, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिया गए दंड में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील निरस्त की जाती है।

सही/-
वी.के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Aman Ansari, Advocate.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur